OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

OLD ST. STEPHEN'S COLLEGE BUILDING, KASHMERE GATE DELHI-110006

Helpline No. 1800-111-400/1950, Website: www.ceodelhi.gov.in

(6)

5/2/2020

PUBLIC NOTICE

BAN ON EXIT/OPINION POLLS ETC.

ATTENTION: NEWS BUREAUS, MEDIA HOUSES, RADIO & TELEVISIONS CHANNELS, etc.

Attention of General Public especially news bureaus, media houses, radio and television channels and social media etc. is drawn towards the Election Commission of India's Notification No. 576/Exit/2020/SDR/Vol.I dated 24th January, 2020 regarding BAN on EXIT POLLS, results of any OPINION POLL/ ANY OTHER POLL SURVEY in print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever. The notification is reproduced below for information and compliance of all concerned.

1. Whereas, the schedule for the General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi was announced by the Commission vide Press Note bearing No. ECI/PN/4/2020, dated 6th January, 2020.
2. And whereas, as per the provisions of Section 126A of The Representation of the People Act, 1951 (in short R.P. Act, 1951) there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard;
3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of Sub-Section (2) of the said Section, hereby notifies the period between 8.00 A.M and 6.30 PM on 8th February, 2020 (Saturday) as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the above mentioned General Election to the State Legislative Assembly of NCT of Delhi, 2020 shall be prohibited.
4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll in the respective polling areas in connection with aforesaid General Election.

Sd/-

(SATNAM SINGH)

Spl. Chief Electoral Officer, Delhi

DIP/Shabdarth/1342/19-20

NewDelhi

Scanned by CamScanner

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

ओल्ड सेंट स्टीफेंस कॉलेज बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006
हेल्पलाईन सं. 1800-111-400/1950: वेबसाइट : :www.ceodelhi.gov.in

सार्वजनिक सूचना

5/2/2020

एक्ज़िट/ओपीनियन पोल इत्यादि पर प्रतिबंध

ध्यान दें : न्यूज ब्यूरो, मीडिया हाउसेज़, रेडियो और टेलीविजन चैनल इत्यादि

जनसाधारण विशेष रूप से न्यूज़ ब्यूरो, मीडिया हाउसेज, रेडिया और टेलीविजन चैनलों और सोशल मीडिया इत्यादि का ध्यान भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 24 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या 576/एक्ज़िट/2020/एसडीआर-खण्ड-1 की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी अन्य तरीके, जो कोई हो, में **एक्ज़िज पोल, ओपीनियन पोल/किसी अन्य चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों पर प्रतिबंध रहेगा।** यह अधिसूचना सभी संबंधितों की सूचना और अनुपालन हेतु नीचे पुनः प्रस्तुत की जाती है:-

1. यतः, राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली के विधान सभा के साधारण निर्वाचन की घोषणा आयोग के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/4/2020 दिनांक 6 जनवरी, 2020, के द्वारा घोषित की जा चुकी है;
2. और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में लो. प्र. अधिनियम, 1951) की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्ज़िट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्ज़िट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा;
3. यतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के संबंध में एतदद्वारा, 08 फरवरी, 2020 (शनिवार) को पूर्वाहन 08.00 बजे से अपराह्न 06.30बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपरोक्त वर्णित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधान सभा के साधारण निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्ज़िट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।
4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपिनियम पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।

ह.

(सतनाम सिंह)

विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी

DIP/Shabdarth/1342/19-20

Scanned by CamScanner